पत्र संख्या-आई0टी0-एन0आई0सी0-कम्प्यूटर साफ्टवेयर (2016-17) // 773/1617047 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0 अनुभाग)
लखनऊ // दिनांक // 16 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक/कारपोरेट सेल),
समस्त कर निर्धारण अधिकारी,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

आप अवगत हैं कि दिनांक 01-04-2017 से प्रस्तावित GST व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु शीघ्रातिशीघ्र समस्त व्यापारियों के PAN Updation का कार्य सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। मुख्यालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न परिपत्रों द्वारा PAN Updation के सम्बंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किये गये हैं। मुख्यालय के पत्रांक संख्या 648/1617038 दिनांक 07-10-2016 द्वारा निर्धारित समयावधि में PAN Updation की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। GST की व्यवस्था में पर्दापण करने से पूर्व यह आवश्यक है कि ऐसे समस्त व्यापारी जिनके द्वारा विभाग में पंजीयन लेकर समय से Return दाखिल नहीं किया जा रहा है, तथा उनके विरुद्ध अधिकारियों द्वारा नियमानुसार विधिक रुप से आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है, ऐसे व्यापारियों को चिन्हित कर नियमानुसार पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए जिससे GST व्यवस्था में उन्ही व्यापारियों का डाटाबेस Migrate कराया जा सके जो वास्तव में व्यापार कर रहे हैं।

2- विभाग में पंजीकृत व्यापारियों का डाटाबेस अध्ययन करने पर NIC द्वारा अवगत कराया गया है कि 46778 व्यापारी ऐसे हैं जिनका पंजीयन दिनांक 31-03-2015 के पूर्व का है किंतु उनके द्वारा दिनॉक 01-04-2015 से आज तक विभाग में कोई भी रसीद जनरेट नहीं करायी गयी है। अतः ऐसे व्यापारियों द्वारा पंजीयन लेने के उपरान्त किसी भी विधिक रुप से निर्धारित विभागीय प्रक्रियाओं का अनुपालन न करने की प्रबल सम्भावना है। इसके अतिरिक्त NIC द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त पंजीयन तिथि के पूर्व के 74748 व्यापारी ऐसे हैं जिनके द्वारा दिनांक 01-04-2015 से आज तक विभाग में किसी भी प्रकार का Return दाखिल नहीं किया गया है। ऐसे समस्त व्यापारियों का सम्पूर्ण विवरण समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर के ई-मेल आई0डी0 पर प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया आप अपने स्तर से अपने जोन से सम्बंधित व्यापारियों के विवरण की जांच कर ऐसे व्यापारियों के TIN निरस्तीकरण की कार्यवाही दिनांक 20-11-2016 तक अवश्य पूर्ण करते हुए इसकी सूचना मुख्यालय की ई-मेल आई0डी0 ctithqlu-up@nic.in पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।

15/11/16

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।